

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022—कार्तिक 27, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-181-2022-5-एक.—श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे (2016), आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-182-2022-5-एक.—श्री रौशन कुमार सिंह (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन के पद पर पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-189-2022-5-एक.—सुश्री मिशा सिंह, भाप्रसे (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार सुश्री मिशा सिंह द्वारा अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपरदर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

5885

क्र. ई-1-176-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका			
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अमर बहादुर सिंह (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर.	अपर आयुक्त (राजस्व), जबलपुर संभाग, जबलपुर.	—
2.	सुश्री संस्कृति जैन (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर.	अपर कलेक्टर, जिला सतना	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3.	श्री बालागुरू के. (2015), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना.	मुख्य महाप्रबंधक, जल निगम, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4.	श्री सिद्धार्थ जैन (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ.	अपर आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
5.	श्रीमती प्रीति यादव (2016), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन	—
6.	श्री दिव्यांक सिंह (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन.	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	—

क्र. ई-1-186-2022-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

तालिका		
क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री हिमांशु जैन (2020), सहायक कलेक्टर, जिला नीमच.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लखनादौन, जिला-सिवनी.
2.	श्री अभिषेक सराफ (2020), सहायक कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सेंधवा, जिला-बड़वानी.
3.	श्री अनिल कुमार राठौर (2020), सहायक कलेक्टर, जिला विदिशा.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेटलावद, जिला-झाबुआ.

(1)	(2)	(3)
4.	श्री अंशुमन राज (2020), सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़, जिला-राजगढ़.
5.	श्री प्रखर सिंह (2020), सहायक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डबरा, जिला-ग्वालियर.
6.	श्री विवेक के. वी. (2020), सहायक कलेक्टर, जिला भिण्ड.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर.
7.	श्री अग्रिम कुमार (2020), सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला-खरगौन.
8.	सुश्री आर. अंजली (2020), सहायक कलेक्टर, जिला कटनी.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राघोगढ़, जिला-गुना.

क्र. ई-1-188-2022-5-एक.—श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे. (2017), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री रामकिशोर शर्मा, ग्राविसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा की सेवाएं उनके मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तत्काल प्रभाव से लौटाई जाती हैं।

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-39-2015-5-एक.—आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान (Senior Time Scale) में पदोन्नति के लिए दिनांक 24 अप्रैल, 2015 को छानबीन समिति की बैठक आयोजित की गई. समिति की उक्त बैठक में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) के नाम पर समिति द्वारा विचार किया गया तथा तत्समय की स्थिति में विचारोपरांत समिति द्वारा श्री हरजिंदर सिंह के संबंध में यह अनुशंसा की गई कि:—

“समिति द्वारा श्री हरजिंदर सिंह की उपयुक्तता के बारे में अपनी अनुशंसा बंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया गया.”

(2) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) को वरिष्ठ समय वेतनमान दिए जाने के संबंध में आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों के साथ प्रथम बार उपरोक्तानुसार दिनांक 24 अप्रैल 2015 को विचारण में लिया गया. तत्पश्चात् आवंटन वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 के भाप्रसे. अधिकारियों के लिए वरिष्ठ समय वेतनमान स्वीकृत किए जाते समय श्री हरजिंदर सिंह के प्रकरण पर विचार किया गया एवं उनके विरुद्ध उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण वरिष्ठ समय

वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफे में रखी जाती रहीं हैं।

(3) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) के विरुद्ध प्रचलित प्रकरण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2022 के आदेश से श्री हरजिंदर सिंह को दोषमुक्त कर समाप्त किया गया. श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) को वरिष्ठ वेतनमान दिये जाने के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल 2015 को प्रथमबार विचार किया गया एवं माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 एवं उनके विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार की कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में, श्री हरजिंदर सिंह को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया.

(4) समिति की बैठक दिनांक 24 अप्रैल 2015 में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) को समिति की अनुशंसा अनुसार वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया.

(5) आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को वरिष्ठ समय वेतनमान पर विचार किये जाने हेतु सम्पन्न छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार श्री हरजिंदर सिंह से कनिष्ठ भाप्रसे. अधिकारी श्री मोहित बुंदस को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान रुपये 15,600-39,100+ग्रेड पे 6600 स्वीकृत किया गया है.

(6) उपरोक्त के आलोक में राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011), परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मेपसेट (मध्यप्रदेश काउंसिल एण्ड ट्रेनिंग) तथा संचालक, रोजगार मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान (रुपये 15,600-39,100+ग्रेड पे 6600) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान की जाती है.

(7) वरिष्ठ समय वेतनमान में श्री हरजिंदर सिंह का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2015 से निर्धारित होंगे, किन्तु दिनांक 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ समय वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी। वरिष्ठ समय वेतनमान में पदोन्नति का वास्तविक लाभ उनके द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा।

(8) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) को वरिष्ठ समय वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2015 से काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप श्री सिंह कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए अर्ह हो गये हैं। आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2020 से वेतनमान रुपये 78,800-2,09,200 (Pay Matrix-12) स्वीकृत किया गया था. अतः, श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे. (2011) को आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्वीकृत किया गया है. अतः, श्री हरजिंदर सिंह को दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78,800-2,09,200 (Pay Matrix-12) काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया जाता है.

(9) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में श्री हरजिंदर सिंह का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2020 से निर्धारित होंगे, किन्तु दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक उन्हें वेतन भत्तों के एरियर्स की राशि की पात्रता नहीं होगी. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में वास्तविक लाभ उनके द्वारा उक्त ग्रेड में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-227-2021-5-एक.—श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे. (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-227-2021-5-एक.—भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-2022-EO (MM-I) (4) , दिनांक 03 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में, श्री आकाश त्रिपाठी, भाप्रसे. (1998), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन "Chief Executive Officer, My Gov." के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्र. ई-1-193-2022-5-एक.—श्री पवन कुमार जैन, भाप्रसे.(2013), अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2022

क्र. 1367-114-2019-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 7 अक्टूबर 2022, कुल एक दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 5-10-2021-एक (1).—मान. न्यायाधिपति महोदय, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3540 (दो-1-19/18), दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 12 से 29 सितम्बर 2022 तक, अठारह दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2022 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 5-10-2021-एक (1).—मान. न्यायाधिपति महोदय, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3538 (दो-1-19/18), दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 30 सितम्बर 2022 का एक दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 एवं 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 5-09-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4375 (दो-1-19/16), दिनांक 5 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 9 सितम्बर 2022 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश तथा अवकाश के पूर्व दिनांक 4 सितम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt. (ए.) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

अवकाश नगदीकरण का यह छठवां अवसर है।

क्र. एफ 5-24-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3609 (दो-1-22/2021), दिनांक 16 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 26 अगस्त 2022 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-24-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-3549 (दो-1-22/2021), दिनांक 9 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 3 सितम्बर 2022 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्प्यूटेड अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. एफ 5-20-2021-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री राजीव कुमार दुबे, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक सी-4655 (दो-1-5/18), दिनांक 16 सितम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 12 से 16 सितम्बर 2022 तक, पांच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2022

क्र. एफ 5-12-2022-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति, श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-2067-(दो-1-7/2021), दिनांक 9 सितम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 3 से 5 सितम्बर 2022 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2022

फा. क्र. 4346-2022-इक्कीस-ब (एक)2022.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना दिनांक 18 मई 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 27 मई, 2022 में प्रकाशित हुई थी, की सारणी के क्रमांक 7 में दर्शित श्री कमलेश सनोधिया, 20वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का नाम विलोपित किया जाता है।

फा. क्र. 4348-इक्कीस-ब(एक)-2022.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	श्री दीपक चौधरी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर."

F. No. 4348-XXI-B(1)-2022.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(1)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, Dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 16 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"16.	Shri Deepak Choudhary, II nd Civil Judge, Senior Division, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur	Chhatarpur."

फा. क्र. 4349-इक्कीस-ब(एक)-2022.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 72 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"72.	श्री सोहन लाल भगोरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, श्योपुर.	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर."

F. No. 4349-XXI-B(1)-2022.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, Dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 72 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"72	Shri Sohan Lal Bhagora, II nd Additional Judge to 1st Civil Judge Junior Division, Sheopur.	Sheopur.	Sheopur.	Sheopur.	Sheopur."

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2022

फा. क्र. 3408-इक्कीस-ब(दो)-2020.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर 2020 जो कि मध्यप्रदेश विधि आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव एवं अंशकालिक सदस्य के वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियों के संबंध में है, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त आदेश में, अंत में आये शब्द "नोट.—यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावी होगा" के स्थान पर, शब्द "नोट.—यह आदेश विधि आयोग के गठन दिनांक 17 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा" स्थापित किए जायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2022

पंजी क्र. 3714-2022-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, तहसील-नरवर जिला-शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 8 दिसम्बर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री गिरिराज माहेश्वरी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2022

फा. क्र. 3773-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 30 नवम्बर 2022 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2022

क्र. PRE-6-0006-2022-sec-1-24-(PRE).—राज्य शासन, एतद्वारा पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजनान्तर्गत मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार वर्ष 2021-22 की भांति ही वर्ष 2022-23 में बीमा कराने वाले पत्रकारों से निर्धारित प्रीमियम राशि ही ली जाये तथा शेष अतिरिक्त राशि शासन की ओर से बीमा कंपनी को भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. एफ. 3-3-2015-इकतालीस-2.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति एवं दिशा-निर्देश 2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

(1) उक्त नीति 2019 की कंडिका 7.1 (ख) तीन के पश्चात् चार-निम्नानुसार जोड़ा जाता है:—

चार-भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2100 वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी.

(2) दिशा-निर्देश 2019 की कंडिका-12 (क) में (सात) के पश्चात् (आठ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:—

(आठ) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) के अन्तर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 2100 वर्गफुट तक की उपयुक्त भूमि हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी.

2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2022

क्र. एफ. 01-7-2022-सात-शा.7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, संभाग जबलपुर के जिला बालाघाट के बैहर उपखंड की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन उपखंड परसवाड़ा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार परिवर्तित करते हुए उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:—

अनुसूची

अनु विद्यमान उपखंड क्र. और उसका मुख्यालय	प्रस्तावित परिवर्तन उपखंड में सम्मिलित किये जाने वाले या उपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखंड एवं उसके मुख्यालय का नाम	प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् उपखंड में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण	प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड की सीमाएं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	उपखंड बैहर मुख्यालय बैहर	वर्तमान तहसील परसवाड़ा के प.ह.नं. 01 से 57 तक अपवर्जित होंगे.	उपखंड बैहर मुख्यालय बालाघाट.	उपखंड बैहर में तहसील बैहर के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 50 तक एवं तहसील बिरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 69, कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व—छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. पश्चिम—तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट. उत्तर—जिला मण्डला दक्षिण—तहसील लॉजी जिला बालाघाट की सीमा.
		उपखंड परसवाड़ा मुख्यालय परसवाड़ा	उपखंड परसवाड़ा में तहसील परसवाड़ा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 57 कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.	पूर्व—तहसील बैहर जिला बालाघाट की सीमा. पश्चिम—तहसील बालाघाट जिला बालाघाट की सीमा. उत्तर—जिला मण्डला की सीमा. दक्षिण—तहसील किरनापुर जिला बालाघाट की सीमा.	

2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2022

क्र. एफ-11-07-2019-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-07-2019-तीस, दिनांक 30 दिसम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	ग्वालियर	डबरा	ग्राम लोहगढ़	गढ़ी लोहगढ़	सर्वे नं. 1116 चट्टान	0.679	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2022

क्र. एफ-11-02-2019-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-02-2019-तीस, दिनांक 4 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	ग्वालियर	डबरा	ग्राम देवगढ़	देवगढ़ का किला.	सर्वे नं. 618 गैर कृषि भूमि.	5.801	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

क्र. एफ-11-03-2019-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-03-2019-तीस, दिनांक 6 सितम्बर 2019 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल (हे. में.)	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	ग्वालियर	डबरा	ग्राम सालवाई	प्रसिद्ध प्राचीन गढ़ी सालवाई.	1.432 सर्वे नं. 1196 आबादी गाँवठान.	1.432	मध्यप्रदेश शासन.	नहीं

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2022

एफ 4-2-6-0001-2022-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :—

क्र.	राज्य	जिला	तहसील	स्थानीय क्षेत्र का नाम	स्मारक का नाम	राजस्व खंड जो संरक्षण के अधीन है	क्षेत्रफल हेक्टेयर	स्वामित्व	असंरक्षित स्मारक को किस विभाग को सौंपा जाना है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	म. प्र.	भोपाल	हुजूर नजूल शहर भोपाल वृत्त.	इतवारा रोड	मौलाना आजाद सेन्ट्रल लायब्रेरी, केन्द्रीय पुस्तकालय (अजायबघर).	खसरा नंबर 1244	कुल रकबा 13.44 एकड़ में से 0.54 एकड़.	महकमा बागात	स्कूल शिक्षा विभाग (म. प्र.).
2.	म. प्र.	भोपाल	हुजूर	नगर निगम कार्यालय भोपाल.	सदर मंजिल, दरबार हॉल, भोपाल.	1839/1326	7.72 एकड़	नगर निगम के कब्जे में.	नगर निगम, भोपाल.
3.	म. प्र.	भोपाल	हुजूर	ग्राम धरमपुरी	बारादरी छत्री	15	0.020 0.05	निजी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड काली परेड बैरसिया रोड.	जिला प्रशासन भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	म. प्र.	भोपाल	हुजूर	ग्राम धरमपुरी	ब्यू पाइंट	14/1	5.051 12.48	शासकीय बड़ा जंगल	जिला प्रशासन भोपाल.
5.	म. प्र.	भोपाल	हुजूर	हुजूर गांधी मेडिकल कालेज परिसर.	दोस्त मोहम्मद एवं फतेह बीबी का मकबरा.	खसरा क्रमांक 138.	12.09 एकड़	वक्फ बोर्ड	हुजूर गांधी मेडिकल कालेज परिसर.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वर्णित स्मारक को अनुसूची के क्रमांक 10 के अनुसार संबंधित विभाग को सौंपा जावे।

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

क्र. 1372-797531-2022-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :—

स. क्र.	स्मारक का नाम	अधिसूचना क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)
1	गौंड महल, इस्लामनगर तह. हुजूर, जिला-भोपाल	एफ 6-49-83/सं./तीस, दिनांक 23-12-1985
2	1. मालकम कोठी, नालछा, जिला धार 2. चारचमेली, नालछा, जिला-धार 3. हौज, नालछा, जिला-धार	एफ 6-34-86/सं./तीस, दिनांक 15-11-1994

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वर्णित स्मारक मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग को सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय, अवर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-392-भू-अर्जन-2022

सतना, दिनांक 4 जुलाई 2022

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम गढ़वाकला तहसील कोटर की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर /ग्राम - गढ़वाकला

(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 46.229 हे०

सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	598	0.202
2	602	0.097
3	592/637	1.010
4	603	0.733
5	604	0.364
6	590/652	1.149
7	601	0.551
8	605	0.825
9	616	0.158
10	606	1.137
11	122/2	0.081
12	614/1	0.287
13	617/1	0.543
14	618/1	0.672
15	619/1	0.101
16	621	0.841
17	617/2	0.271
18	618/2	0.340
19	619/2	0.049
20	620/1	1.214
21	620/2	0.607
22	233/1	0.918
23	235	0.328
24	233/2	0.077
25	419	1.875
26	421	1.416
27	397/2	0.032

28	396	0.049
29	397	0.526
30	401	0.741
31	400	0.085
32	422	0.045
33	622	0.684
34	622/653/1	0.158
35	625	0.263
36	622/653/2	1.619
37	399/1क	0.032
38	399/2	0.063
39	390/2	0.146
40	399/1ख	0.031
41	402/1	0.085
42	403/1	0.607
43	402/2	0.089
44	403/2	0.809
45	402/3	0.085
46	403/3	0.607
47	403/4	0.895
48	417/2	0.194
49	388/1	0.057
50	389/1	0.125
51	388/2	0.016
52	389/2	0.121
53	389/3	0.121
54	390/1	0.150
55	391	0.186
56	392	0.036
57	416	0.229
58	305	0.032
59	418/1क	0.260
60	418/1ख	0.260
61	418/1ग	0.126
62	418/1घ	0.126
63	162/1	1.439
64	418/2क	0.050
65	162/2	1.439
66	316	0.182
67	318	0.024
68	319	0.348
69	418/2ख	0.050
70	313/1	0.320
71	420/1	0.149
72	313/2	0.110
73	118/2	0.138
74	420/2	0.153
75	119/2	0.911

76	120	0.093
77	121	0.085
78	395	0.085
79	398	1.481
80	310	0.073
81	309/1	0.668
82	309/2	0.616
83	309/3	0.692
84	258/2	0.150
85	317	0.065
86	258/1	0.061
87	320	0.024
88	243	0.258
89	236	0.219
90	144	0.374
91	117/1	0.101
92	306/1	0.007
93	116/1	0.024
94	116/2	0.024
95	122/1	0.405
96	123	0.324
97	151/1	0.162
98	303/2	0.041
99	303/3	0.056
100	303/4	0.056
101	303/5	0.056
102	303/6	0.052
103	245	0.162
104	590	0.562
105	607	0.571
106	118/1	0.138
107	119/1	1.010
108	237	0.243
109	338	0.255
110	260	0.628
111	627	0.125
112	384	0.644
113	410	0.084
114	411	0.117
115	412	0.140
116	413	0.150
117	414	0.069
118	415	0.048
119	626	0.129
120	382	0.364
121	417/1/ख	0.093
122	386	0.182
123	405/1	0.227

124	405/2	0.227
125	405/3	0.227
126	406	0.255
127	407/1/क	0.097
128	409/1	0.063
129	409/2	0.060
130	383	0.231
131	315	0.599
132	238	0.255
133	163	1.153
योग	133 किता	46.229

म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 46.229 हे०

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-394-भू-अर्जन-2022

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम घटबेलबा तहसील रामपुरबाघेलान की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
 (ग) नगर /ग्राम - घटबेलबा
 (घ) क्षेत्रफल/रकबा - 14.087 हे०

सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	469/1	0.202
2	469/544क	0.271
3	470/2	0.032
4	469/544ख	0.130
5	469/3	0.202
6	470/3	0.028
7	469/544ग	0.130
8	469/4	0.202
9	470/4	0.028
10	469/544घ	0.130
11	470/5	0.134
12	469/544ङ	0.259
13	366/2	0.020
14	367/2	0.121
15	369/2	0.040
16	366/3	0.020
17	367/3	0.121
18	369/3	0.040
19	366/4	0.020
20	367/4	0.125
21	368/2	0.049
22	369/4	0.097
23	147	0.656
24	366/1	0.202
25	367/1	0.081
26	368/1	0.049
27	369/1	0.040
28	101	0.036

29	102	0.388
30	502/2/ख	0.053
31	90/2	0.357
32	140	0.486
33	496	0.843
34	502/1	1.866
35	75	1.214
36	75/549	0.762
37	82/3	0.510
38	91	0.110
39	280	1.478
40	528	0.518
41	90/3	0.357
42	503/3	1.109
43	99	0.231
44	93	0.340
योग	44 किता	14.087

म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 14.087 हे०

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-402-भू-अर्जन-2022

सतना, दिनांक 20 जुलाई 2022

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मझियार पैपखार तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - मझियार पैपखार

(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 12.145 हे0

सर्ल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	5	4.080 ✓
2	16	2.856 ✓
3	16/696	0.080 ✓
4	31/5	0.380 ✓
5	29/1क	0.100 ✓
6	32	0.486 ✓
7	29/1ख	0.532 ✓
8	31/1	0.141 ✓
9	34/3	0.182 ✓
10	34/2	0.182 ✓
11	29/1ग	0.536 ✓
12	29/2क	0.196 ✓
13	34/4	0.181 ✓
14	30	0.040 ✓
15	31/2	0.186 ✓
16	34/3	0.061 ✓
17	29/2	0.065 ✓
18	34/6	0.061 ✓
19	34/7	0.061 ✓
20	31/4	0.077 ✓
21	34/8	0.177 ✓
22	31/5	0.384 ✓
23	34/1	0.182 ✓
24	33	0.207 ✓
25	102	0.352 ✓
26	103	0.109 ✓
27	104	0.251 ✓
योग	27 कित्ता	12.145 हे0 ✓

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकबा 12.145 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर (म0प्र0) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-403-भू-अर्जन-2022

म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम किटहा तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म०प्र० की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
 (ख) तहसील- रामपुरबाघेलान
 (ग) नगर /ग्राम - किटहा
 (घ) क्षेत्रफल/रकबा - 8.067 हे०

सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	42	0.886 ✓
2	44	0.256 ✓
3	40	0.182 ✓
4	8/1	0.212 ✓
5	8/2	0.212 ✓
6	38	0.360 ✓
7	37	0.324 ✓
8	36	0.563 ✓
9	22	0.619 ✓
10	21	0.320 ✓
11	20/2	0.486 ✓
12	10/1	0.624 ✓
13	20/1	0.938 ✓
14	10/2	0.405 ✓
15	9/2	0.263 ✓
16	9/4	0.263 ✓
17	9/5	0.263 ✓
18	5/2	0.313 ✓
19	9/3	0.263 ✓
20	5/1	0.315 ✓
योग	20 किता	8.067 हे०

म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकबा 8.067 हे०

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-404-भू-अर्जन-2022

म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम रजरवार तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर /ग्राम - रजरवार
(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 17.039 हे०

सर्ल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	760	2.542
2	815	0.808
3	776	0.571
4	777	0.640
5	483	0.470
6	484	0.385
7	817	0.720
8	509	0.480
9	788	0.245
10	789	0.344
11	801/1क	0.085
12	801/1ख	0.065
13	801/1ग	0.073
14	795	0.160
15	796	0.109
16	799	0.214
17	804	0.220
18	805	0.405
19	798	0.340
20	790	0.295
21	485	0.178
22	791	0.194
23	814	2.960
24	806	0.280
25	486	0.162
26	797	0.121
27	800	0.214
28	487	0.243
29	782	0.773
30	784	0.202
31	785	0.109
32	473	2.432
योग	32 कित्त	17.039 हे०

म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकबा 17.039 हे०

(2) कार्यपालन यंत्रि, सिविल भूअर्जन समाग म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर (म0प्र0) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-405-भू-अर्जन-2022

म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम टेढगवां तहसील कोटर की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोटर
(ग) नगर /ग्राम - टेढगवां
(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 7.241 हे0

संक्रमांक	वापसी योग्य संसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टर)
1	19	0.271 ✓
2	30	0.044 ✓
3	96	0.935 ✓
4	91	0.075 ✓
5	93	0.124 ✓
6	89	0.202 ✓
7	94	0.129 ✓
8	95	0.664 ✓
9	67	0.138 ✓
10	51/271/2	0.022 ✓
11	67/281	0.078 ✓
12	51	0.124 ✓
13	59	0.187 ✓
14	58	0.278 ✓
15	60/1क	0.670 ✓
16	60/2	0.248 ✓
17	66	0.752 ✓
18	76	0.077 ✓
19	78	0.094 ✓
20	79	0.110 ✓
21	84	0.050 ✓
22	87	0.143 ✓
23	88	0.097 ✓
24	75	0.094 ✓
25	77	0.154 ✓
26	83	0.050 ✓
27	97	1.431 ✓
योग	27 कित्ता	7.241 हे0

म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकबा 7.241 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर (म0प्र0) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-474-भू-अर्जन-2022

सतना, दिनांक 22 अगस्त 2022

✓ म0प्र0पा0ज0क0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम किचवरिया तहसील रामपुरबाघेलान जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - किचवरिया

(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 20.613 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल वापसी योग्य रकबा
1	156/1	0.060
2	162/3	0.016
3	173/3	0.020
4	503	0.522
5	162/2	0.024
6	106	0.340
7	470	0.134
8	66/2	0.227
9	447	0.113
10	448	0.121
11	168	0.077
12	169	0.073
13	65/3	0.093
14	66/3	0.987
15	66/1	0.434
16	476	0.121
17	354	0.438
18	482	0.109
19	183	0.336

20	390	0.069
21	372	0.223
22	377	0.077
23	497/2	0.113
24	368/2	0.133
25	371/2	0.065
26	496	0.073
27	488	0.125
28	388	0.085
29	118/5	0.077
30	469	0.121
31	184/2	0.219
32	185/2	0.324
33	186/2	0.113
34	187/2	1.343
35	164/2	0.032
36	171	0.028
37	107	0.725
38	154	0.142
39	110	0.474
40	152	0.089
41	153	0.166
42	182	0.230
43	474/2	0.061
44	162/1	0.024
45	116	0.519
46	117	0.437
47	151	0.291
48	167	0.116
49	155	0.113
50	103	0.120
51	375	0.089
52	495	0.174
53	435	0.069

54	374	0.100
55	485	0.166
56	373	0.081
57	490	0.118
58	432	0.162
59	355	0.186
60	418	0.215
61	425	0.102
62	493	0.166
63	505	0.162
64	506	0.174
65	368/1	0.053
66	369	0.081
67	370	0.097
68	371/1	0.069
69	472/1	0.150
70	501	0.085
71	502	0.089
72	184/1	0.219
73	185/1	0.324
74	186/1	0.109
75	187/1	0.284
76	444	0.129
77	445	0.170
78	426/2	0.097
79	504/2	0.146
80	507/2	0.017
81	504/3	0.146
82	507/3	0.016
83	426/1	0.044
84	507/1	0.016
85	111	0.057
86	108	0.233
87	378	0.211
88	109	0.186
89	423/1	0.097
90	385/1	0.194
91	391/2	0.004
92	384	0.040

93	385/2	0.199
94	391/3	0.105
95	392	0.097
96	310/2	0.069
97	424	0.146
98	383/3	0.073
99	308/2	0.073
100	391/4	0.203
101	310/3	0.073
102	383/4	0.227
103	308/3	0.097
104	181/4	0.138
105	308/1	0.190
106	310/1	0.141
107	105	0.259
108	474/1	0.202
109	478	0.117
110	483	0.263
111	500	0.101
112	477	0.158
113	397	0.166
114	439	0.081
115	434	0.121
116	440	0.040
117	438/1	0.101
118	438/2	0.113
119	439/1	0.113
120	398	0.227
121	446	0.194
122	230	0.211
123	439/2	0.016
योग	123 कित्ता	20.613

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 20.613 हे0

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर (म0प्र0) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र.-475-भू-अर्जन-2022

म0प्र0पा0ज0कं0लि0 सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम लौलाछ तहसील कोटर जिला सतना म0प्र0 की निजी भूमियों का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोटर

(ग) नगर /ग्राम - लौलाछ

(घ) क्षेत्रफल/रकबा - 41.937 हे०

सरल क्रमांक	वापसी योग्य खसरा क्रमांक	वापसी योग्य रकबा (हेक्टेयर)
1	517/1	0.312
2	882	0.053
3	997	0.020
4	1012/2	0.012
5	1014	0.040
6	884	0.235
7	1043	0.206
8	1064	0.121
9	1070/1	0.020
10	1075	0.049
11	1649	0.219
12	885	0.101
13	887	0.032
14	1042	0.129
15	990	0.057
16	1079	0.093
17	1010	0.040
18	972	0.174
19	1000	0.032
20	1632	0.486
21	982	0.040

22	981	0.154
23	1099	0.024
24	1101/1	2.406
25	1104/1	0.032
26	1601	0.109
27	1602	0.142
28	1603	0.170
29	1604	0.057
30	1606	0.304
31	1607	0.113
32	1608	0.393
33	1610/2	0.210
34	1555/1	0.008
35	991	0.235
36	986/2	0.028
37	992	0.121
38	993	0.255
39	995	0.045
40	998	0.045
41	1001	0.028
42	1002	0.036
43	1007	0.024
44	1003	0.028
45	1006	0.028
46	1012/1	0.040
47	1004	0.036
48	1005	0.081
49	1009	0.089
50	1008/1	0.045
51	1008/2	0.024
52	1101/7	0.041
53	1595/3	0.020
54	1013	0.028
55	1039	0.174
56	1032	0.105
57	1033/1	0.022
58	1033/2	0.011
59	1033/3	0.011
60	1034	0.057

61	1035	0.057
62	1036	0.032
63	1037	0.049
64	1040/1	0.036
65	1040/2	0.036
66	1040/3	0.032
67	1041	0.089
68	1626	0.045
69	1627	0.016
70	1630	0.040
71	1631/1	0.437
72	1044/1	0.061
73	1045/1	0.036
74	1046/1	0.008
75	1047/1	0.020
76	1048/1	0.016
77	1049/1	0.032
78	1050/1	0.008
79	1051/1	0.012
80	1044/2	0.057
81	1045/2	0.036
82	1046/2	0.012
83	1047/2	0.020
84	1048/2	0.016
85	1049/2	0.028
86	1050/2	0.012
87	1051/2	0.012
88	517/2	0.308
89	1052/1	0.235
90	1052/2	0.077
91	1059	0.008
92	1060	0.028
93	1061	0.097
94	1062	0.020
95	1053	0.040
96	1054	0.024
97	1055	0.032
98	1056	0.089
99	1635	0.247

100	1057	0.129
101	1063	0.053
102	1067	0.097
103	1068/1 ख	0.060
104	1070/2	0.053
105	1071/1	0.061
106	1073/2	0.032
107	1386	0.789
108	1387	0.202
109	1392/1	0.971
110	1068/1क	0.060
111	1072	0.028
112	1073/3	0.032
113	1068/2	0.024
114	1069	0.117
115	1080/1 क	0.028
116	1081/1 क	0.024
117	1071/2	0.061
118	1073/1	0.036
119	1074	0.053
120	1076/1	0.022
121	1076/2	0.002
122	1077	0.012
123	1082	0.077
124	1083	0.101
125	1084	0.129
126	1091	0.142
127	1098	0.053
128	1102	0.243
129	1103	0.170
130	1106	0.016
131	1108	0.409
132	1110	0.032
133	1609	0.202
134	1086	0.073
135	1087/1	0.016
136	1087/2	0.016
137	1088/2	0.014
138	1089	0.032

139	1090	0.040
140	1092	0.077
141	1100	0.085
142	1093/1	0.057
143	1659/3	0.150
144	1093/2	0.016
145	1657/2	0.146
146	1659/2	0.012
147	1093/5	0.012
148	1094/1	0.040
149	1094/2	0.040
150	1095	0.024
151	1097	0.081
152	1560	0.065
153	1598	0.081
154	1599	0.093
155	1651	0.340
156	1093/4	0.016
157	1094/3	0.040
158	1096	0.028
159	1101/2	2.406
160	1104/2	0.036
161	978/2	0.538
162	1555/2	0.005
163	1594	0.336
164	1596	0.028
165	1597	0.105
166	1600	0.384
167	1605	0.154
168	1610/1	1.011
169	1101/6	0.123
170	1595/1	0.061
171	1101/8	0.084
172	1595/4	0.045
173	996	0.770
174	1101/9	0.126
175	1595/2	0.065
176	1101/10	0.187
177	1105	0.032

178	1368	0.125
179	1542	0.235
180	1388/1	1.214
181	1388/2	0.580
182	1391	0.089
183	1390	0.529
184	1392/2	0.752
185	1522/2	0.570
186	1536/2	0.125
187	1522/1689/1	0.110
188	1399	0.109
189	1448/1	0.117
190	1449/1	0.085
191	1469	0.202
192	1470	0.466
193	1447	1.242
194	1450	0.174
195	1452	0.190
196	1465	0.330
197	1466	0.640
198	1448/2	0.445
199	1449/2	0.101
200	1471/2	0.200
201	1468	0.490
202	1451	0.405
203	1522/1	0.570
204	1539	0.180
205	1540	0.170
206	1541	0.299
207	1388/1699	0.648
208	1611	0.105
209	1612	0.101
210	1615	0.210
211	1613	0.146
212	1614	0.158
213	1617	0.198
214	1623	0.129
215	1625	0.283
216	1628	0.425

217	1618	0.405
218	1619	0.336
219	1624	0.287
220	1636	0.405
221	1629	0.134
222	1631/2	0.219
223	1660	0.959
224	1669	0.320
225	1633	0.312
226	1634	0.202
227	1656	0.170
228	1647	0.158
229	1648	0.121
230	1654	0.158
231	1652	0.243
232	1653	0.158
233	1655	0.105
234	1657/1	0.150
235	1659/1	0.162
236	1661	0.134
237	1662	0.287
238	1663	0.045
योग	238 किता	41.937

म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 41.937 हे०

(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र०पा०ज०क०लि० सिंरमौर (म०प्र०) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज बारिसों को भूमि वापसी हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा-1

आदेश क्र.-340

सीधी, दिनांक 7 अक्टूबर 2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा-11 का प्रकाशन दिनांक 10.09.2021 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा-11 के पश्चात धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत निर्वाचन 2022 होने तथा शासन की अन्य जनकल्याण योजनाओं में व्यस्तता के कारण नहीं हो सका है। अतः समयावधि में धारा-19 का प्रकाशन न हो पाने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की कंडिका (7) की उपधारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख बारह मास के भीतर कोई घोषणा नहीं की जाती है, वहाँ उस अधिसूचना के बारे में यह समझा जाएगा की वह विखंडित कर दी गई है तथा उक्त अधिनियम के अधीन एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील चुरहट एवं रामपुर नैकिन की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है:-

क्रं.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	रेलवे विभाग द्वारा प्रस्तुत छूटे हुये ग्रामों का नाम	धारा-11 के प्रकाशन का दिनांक	एक वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	01 वर्ष की समय वृद्धि
1.	चुरहट/रामपुर नैकिन	चुरहट	1.चिलरीकला	10.09.2021	09.09.2022	धारा-11 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है।
			2.बड़ोखर	10.09.2021	09.09.2022	
			3.हर्दिहा कोठार	10.09.2021	09.09.2022	
			4.पचोखर	10.09.2021	09.09.2022	
			5.बड़खरा-740	10.09.2021	09.09.2022	
			6.खम्हौनिया कला नं. 01	10.09.2021	09.09.2022	
			7.पतेरी	10.09.2021	09.09.2022	
		रामपुर नैकिन	8.कुड़िया पवाई	10.09.2021	09.09.2022	
	कुलग्राम	08				

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- रीवा-सीधी-सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु।
- भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है।

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

:- अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	जमोडीकला
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	जमोडीकला नं-51
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.228 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	2/1	0.038	शिवराज सिंह पिता त्रिलोक सिंह
2	4/4	0.010	मु. सोमवती बेवा छत्रजीत सिंह, संतकुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, फूलवती, सविता, कविता पिता छत्रजीत सिंह
3	8/1/मिन-1 (वर्तमान में 8/1/6)	0.060	दीपनारायण सिंह पिता हीरालाल सिंह
4	8/1/3/1	0.040	सूर्यपाल सिंह पिता दीपनारायण सिंह
5	8/1/4/1	0.040	राजदेव सिंह पिता दीपनारायण सिंह सा. सीधी
6	8/1/5/1	0.040	आरती पुत्री दीपनारायण सिंह सा. सीधी
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.228	--

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-572-भू-अर्जन-2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

:- अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	मधुरी कोठार
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	जमोडीखुर्द नं-52
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.130 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	185	0.100	दिवाकर प्रसाद, छेदीलाल पिता जनार्दन राम मिश्रा
2	229/3	0.012	सीमा मिश्रा पत्नी संतोष कुमार मिश्रा
3	272	0.018	अंगिरा प्रसाद, लक्ष्मीकांत पिता हीरामणि राम मिश्रा
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.130	--

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-574-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	नौगवा धीरसिंह
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	नौगवा धीरसिंह नं-53
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.600 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	37/1	0.140	राजबहादुर सिंह पिता भैयालाल सिंह चौहान
2	156	0.070	जयनारायण सिंह पिता गेदरू सिंह चौहान
3	290/1/1	0.156	दीपनारायण सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
4	132/52	0.004	गौरव कुमार गौतम पिता श्रीनिवास गौतम निवासी सारदापुरम समान पयासीटोला के पास रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा
5	132/53	0.004	हरिप्रताप सिंह पिता रणबहादुर सिंह सेंगर
6	132/1/मिन-1 (वर्तमान में 132/1/2)	0.080	चन्द्रशज सिंह पिता ललई सिंह, मु. बसन्ती सिंह बेवा उदयराज सिंह 0.010 जाति चौहान
7	295/1	0.050	रमानिवास सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
8	295/2	0.046	दीपनारायण सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
9	295/3	0.050	दिवाकर सिंह पिता रविनन्दन सिंह चौहान
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.600	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-576-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

(क)	जिला	:-	सीधी
(ख)	तहसील	:-	गोपद बनास
(ग)	ग्राम	:-	जमोडीखुर्द
(घ)	पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	जमोडीखुर्द नं-52
(ङ)	निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.358 हे०

क्र०	खसरा नम्बर	का रकबा हे० में	विवरण
1	2	3	4
1	296/2	0.020	अमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय
2	296/3	0.020	सुमित कुमार सिंह पिता हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय
3	296/4	0.020	आरती सिंह पुत्री हरिकृष्णदेव सिंह जाति क्षत्रिय
4	75/1	0.006	संतोष कुमार सिंह पिता रामायण सिंह जाति चौहान
5	75/3	0.030	श्रीमती कमलेश सिंह पत्नी सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान
6	75/4	0.030	सुभिता सिंह पिता सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान
7	75/5	0.030	सुयश सिंह पिता सन्तोष कुमार सिंह जाति चौहान
8	75/6	0.008	सुकवरिया झाहू पत्नी सुदर्शन प्रसाद साहू जाति तेली पता निवासी ग्राम झलवार तह. रा.नै.
9	75/7	0.008	रसीले वर्मा पिता लाहुर वर्मा जाति चमार पता निवासी ग्राम गाड़ा तह. हनुमना जिला शिवा
10	39/1/1/1	0.008	मतिगेन्द्र सिंह पिता रामायण सिंह चौहान
11	39/1/1/2	0.020	बीरेन्द्र कुमार वर्मा पिता दिवाकर प्रसाद वर्मा
12	39/1/3	0.005	पूजा सिंह पुत्री मतिगेन्द्र सिंह
13	39/1/4	0.005	बीनू सिंह पुत्री मतिगेन्द्र सिंह
14	39/1/5	0.008	लव सिंह पिता मतिगेन्द्र सिंह चौहान
15	43/1	0.016	सुरेन्द्र प्रताप सिंह पिता केशव प्रताप सिंह जाति चौहान
16	43/2	0.008	विनोद कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान
17	43/3	0.008	प्रमोद सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान
18	43/4	0.008	हरीश्वर प्रताप सिंह पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह चौहान
19	71/1	0.050	महेश प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह जाति चौहान
20	42/2	0.050	महेश प्रताप सिंह तनय केशव प्रताप सिंह जाति चौहान
निजी पट्टे की भूमि का कुल योग -		0.358	-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-580-भू-अर्जन-2022

सीधी, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला	सीधी
(ख) तहसील	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	झलवार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	झलवार
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	रकबा 0.225 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	195	0.015	रामअदतार पिता मोलै काछी	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	211	0.001	दिगम्बर प्रसाद पिता नागेश्वर प्रसाद ब्रा.	
3	218	0.004	मंगल प्रसाद पिता गजाधर कुशवाहा	
4	300/1/1	0.096	सुखलाल, बसंतलाल पिता राधेश्यम काछी	
5	300/2	0.004	संध्या पिता रामअभिलाष कुशवाहा	
6	300/3	0.004	पीताम्बर पिता सुखलाल कुशवाहा	
7	300/4	0.004	टैपचन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा	
8	300/5	0.004	दीपचन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा	
9	300/6	0.004	सतेन्द्र पिता सुखलाल कुशवाहा	
10	300/7	0.004	पुष्पेन्द्र पिता बालेन्द्र कुशवाहा	
11	300/8	0.004	जगतपाल पिता मोतीलाल सिंह	
12	300/9	0.004	जितेन्द्र पिता मोतीलाल सिंह	
13	300/10	0.004	चन्दन पिता रामकेशोर सिंह	
14	300/11	0.004	अरुण कुमार पिता अनुयोग प्रसाद वर्मा	
15	300/12	0.004	रमेश पिता बंसपती कुशवाहा	
16	300/13	0.004	रामनिवास पिता सुखलाल कुशवाहा	
17	300/14	0.004	रामलखन पिता रामदास कुशवाहा	
18	300/15	0.004	शिवम पिता रामस्वरूप कुशवाहा	
19	300/16	0.004	विकास पिता गुरुप्रसाद कुशवाहा	
20	300/17	0.004	रन्जू पत्नी बसंतलाल कुशवाहा	
21	313	0.017	श्यामकली सिंह बेवा राजरूप सिंह, राजराघव सिंह पिता राजरूप सिंह, तेजराज सिंह पिता राजरूप सिंह	
क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
22	454	0.006	विश्राम पिता गोविन्द 1/4, चन्द्रवती, सुशीला, मीरा पिता दुलारे, सु. रामवती बेवा दुलारे 1/4, बद्री, गन्नी पिता सरजू 1/2	रेल परियोजना निर्माण हेतु
23	637	0.020	रघुनाथ, रामनिरंजन, रामसजीवन, रामशिरोमणि, राममिलन पिता जगमोहन	
24	321	0.002	शंकर सिंह पिता अजमेर सिंह गहरवार	
निजी भूमि का योग		0.225		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-582-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी
रामपुर नैकिन
कुड़िया पवाई
कुड़िया पवाई
रकवा 0.244 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	919/1	0.060	संतोष कुमार, रणजीत पिता मोतीलाल	रेल परियोजना निर्माण हेतु
3	936/1/1	0.174	हनुमानदीन पिता सूर्यदीन काष्ठी	
4	936/2/1	0.010	विशेषर पिता सूर्यदीन काष्ठी	
निजी भूमि का योग		0.244		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-584-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी
चुरहट
पतेरी
0018-दुआरा
रकवा 0.075 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे०	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	241/1	0.040	जगजीवन लाल सिंह पिता उमा प्रताप सिंह	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	241/2	0.025	मु. रघुवंश कुमारी पति दलप्रताप सिंह, मंगलेश्वर सिंह, राजेश्वरी सिंह, दिनेश सिंह, संतोष सिंह पिता दल प्रताप सिंह	
3	231	0.010	अवधलाल पिता लाल प्रताप सिंह, शकुंतला सिंह पिता जगदीश सिंह 1/2, कुंजेश्वर सिंह, सत्य कुमार सिंह, अनुज प्रताप सिंह पिता अवयेश सिंह 1/4, ललोहर देवी पत्नी नरेश प्रताप सिंह, पुष्पराज सिंह, महानंद सिंह, वृजेन्द्र प्रताप सिंह पिता नारेन्द्र प्रताप सिंह 1/4	
निजी भूमि का योग		0.075		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-586-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

सीधी

(ख) तहसील

चुरहट

(ग) ग्राम

चिलरी कला

(घ) पट्टाचौ हल्का का नाम व नम्बर

चिलरी कला

(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

रकबा 0.226 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2		4	5
1	444/1/3/1	0.103	शेषमणि पिता शिवधारी पटेल	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	444/2	0.040	कमलेश्वर प्रसाद पिता तिलकराम ब्रा.	
3	444/1/ख/3	0.028	रामकुशल पटेल पिता राजभान पटेल	
4	453/1	0.011	शम्भू पटेल पिता हरिनाथ पटेल	
5	453/2	0.011	छोटेलाल पटेल पिता हरिनाथ पटेल	
6	453/3	0.011	रामगोपाल पटेल पिता हरिनाथ पटेल	
7	453/4	0.011	बद्री पटेल पिता हरिनाथ पटेल	
8	453/5	0.011	रामस्वरूप पटेल पिता हरिनाथ पटेल	
निजी भूमि का योग		0.226		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-588-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी डल्का का नाम व नम्बर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी

चुरहट

बड़ोखर

बड़ोखर

रकबा 0.679 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य	
1	2	3	4	5	
1	44/1	0.002	भूषण राम पिता विशेश्वर पटेल	रेल परियोजना निर्माण हेतु	
3	285	0.19	अश्वनी कुमार पिता नन्दलाल पटेल		
4	287	0.002	शिवराज प्रसाद पिता राजवरण, दिलीप कुमार पिता ऋषिराज प्रसाद		
5	308	0.055	कमता प्रसाद पिता शम्भू प्रसाद पटेल		
6	309/1	0.01	रामावतार पिता होरिल पटेल		
7	309/2	0.05	विकास कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद पटेल		
8	324	0.075	मु. फूलमती बेवा ज्येष्ठ प्रसाद, हरीश अरुण, भूपेन्द्र, गायत्री पिता ज्येष्ठ प्रसाद, मु. ललिता देवी बेवा अशोक कुमार		
9	339	0.21	महेन्द्र कुमार पिता रामलखन, रामरक्षा, ईश्वरदीन, दिनेश प्रसाद पिता गंगा प्रसाद शुक्ला,		
10	350/1	0.045	मु. लालमनि देवी पत्नी रामसुन्दर, अभिलेष कुमार, अनिल कुमार पिता राम सुन्दर पाण्डेय		
12	357	0.04	सन्तोष कुमार पिता रोशनलाल पाण्डेय		
निजी भूमि का योग		0.679			

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर बैकन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-590-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्कवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

सीधी

(ख) तहसील

चुरहट

(ग) ग्राम

हर्दिहा कोठर

(घ) पट्टासी हल्का का नाम व नम्बर

0008 हर्दिहा पवाई

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

रकबा 0.052 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	137	0.002	शियाशरन, रामनरेश पिता सीताराम पटेल	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	141	0.012	राजमिण पिता पियारे पटेल	
3	142	0.002	रामदास पिता हरप्रसाद पटेल	
4	146/2/1	0.004	अकुरदीन पिता छन्नू पटेल	
5	147/3	0.004	तीरथ पिता भगवानदीन पटेल	
6	151	0.002	शिव कुमार, रामकुमार, शिवमूरति पिता महादेव पटेल	
7	152/1/1	0.015	बालमीक, शिवराज पिता मोतीलाल, राधेलाल पिता महावीर पटेल	
8	152/2/1	0.011	गेंदलाल, मुन्नी पिता लालमणि, गोमती बेवा रामलखन, सरोज, रीता पिता रामलखन	
निजी भूमि का योग		0.052		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर बैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-592-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

--: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पट्टाची हल्का का नाम व नम्बर

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी

चुरहट

पचोखर

पचोखर

रकबा 0.974 हे०

क्रमांक	असरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्येश्य
1	2	3	4	5
1	3188	0.003	मु. चन्द्रवती देवा सत्यभान, चन्द्र प्रताप, चन्द्र शेखर, लक्षपति, बंशपति, रामपति पिता सत्यभान, इन्द्रभान, शम्भू पिता परमेश्वर कुर्मी	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	3208	0.035	गाणपति, शेषमणि, केदार, रामझूला, रामसुमिरन पिता बैजनाथ कुर्मी	
3	3209	0.015	शिव प्रसाद पिता शीतला प्रसाद	
4	3212	0.015	जमुना पिता अवधकिशोर पटेल	
5	3222	0.090	रामनरेश पिता सम्पत पटेल 1/3, रामनिवास पिता सम्पत 1/3, श्रीकान्त पिता सम्पत 1/3	
6	3223	0.085	रामबली पिता जगेश्वर 1/2, मुलिया, मुडी, छोटैकिया, सुकबरिया, समिलिया, राजनीश, राजमणि पिता सीताराम 1/2 लोहार	
7	3224	0.040	शिव प्रसाद पिता शीतला प्रसाद	
8	3232	0.002	रामनरेश पिता सम्पत पटेल 1/3, रामनिवास पिता सम्पत 1/3, श्रीकान्त पिता सम्पत 1/3	
9	3240	0.004	देवा सुकबरिया पति श्यामलाल पटेल, गिरजा प्रसाद, महेश कुमार, फूलचन्द्र, पन्नालाल पिता श्यामलाल पटेल	
10	3241	0.032	छोटेलाल पिता विक्रम पटेल 1/4, रामनिवास पिता दिपील कुमार पटेल 1/12, हनुमन्त लाल पिता दिलीप कुमार पटेल 1/12, फूलमती देवा दिलीप कुमार पटेल 1/12, राजीव कुमार पिता श्यामलाल पटेल 1/24, बृजेन्द्र कुमार पिता श्यामलाल 1/24, निर्मला पिता श्यामसुन्दर 1/24, अन्नपूर्णिमा देवा शेषमणि 1/24, अमित कुमार पिता शेषमणि 1/24, रालखन पिता सूर्यदीन पटेल 1/8, लाल बहादुर पिता सूर्यदीन पटेल 1/8	
11	3440	0.004	इन्द्रभान, यज्ञभान सियाशरन पिता रामजियावन पटेल	
12	3478	0.005	सूर्यभान, राजकुमार, मानबहादुर, राजबहादुर पिता श्यामलाल, मु. सुभौआ पत्नी रामप्रगास, अमृतलाल पिता रामप्रगास पटेल 1/2, रामावतार पिता बिसेशर कुर्मी 1/2	

क्रमांक	असय नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
13	3479	0.125	राजकली पति राधिका 1/40, मुन्नालाल पिता राधिका 1/40, लालबहादुर पिता रामरूप 1/10, अशोक कुमार पिता रामरूप 1/10, रामदरश पिता रामरूप 1/10, सुनीता पति सियालाल 1/80, देवकली बेवा मोतीलाल पटेल 1/24, जवाहर लाल पिता विद्याप्रसाद पटेल 1/8, जगत कुमार पिता विद्याप्रसाद 1/8, रामनरेश पिता विद्याप्रसाद 1/8, राजेश कुमार पिता राधिका 1/40, सन्तोष कुमार पिता सौखीलाल 1/24, मृगेन्द्र पटेल, पिता मोतीलाल पटेल 1/24	रेल परियोजना निर्माण हेतु
14	3480	0.001	राजभान, राजकुमार पिता रामसिया, सु. सोनवती पत्नी श्यामसुन्दर, संगीता पिता श्यामसुन्दर 1/5, सु. काली पत्नी सुखचन्द, जय बहादुर, दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार पिता सुखचन्द, सु. फूलमती पत्नी रामसिंह उर्फ रामसुमिरन, राजबहोर, संजीव कुमार पिता राम सिंह उर्फ रामसुमिरन	
15	3499	0.130	जयशरण सिंह पिता भोला प्रसाद पटेल 1/16, सुधा पटेल पिता भोला प्रसाद पटेल 1/16, तेजभान पिता मनबोधी 1/8, प्रदीप कुमार पिता प्रह्लाद 1/16, दयाशरण पिता सुखनन्दन 1/16, देवशरण पिता भागीरथी 1/8, गोपीनाथ पिता राधे 1/8, पारसनाथ पिता राधे 1/8, मूरत प्रसाद पिता राधे 1/8, दशरथ प्रसाद पिता राधे कुर्मी 1/8	
16	3501	0.010	ब्रजभूसन पिता बलदेव कुर्मी	
17	3503	0.010	सु. सविता पत्नी जवाहर लाल, अजय कुमार, मनोज कुमार पिता जवाहरलाल, राम बहादुर, रामस्वरूप, जितेन्द्र कुमार पिता रामशरण पटेल	
18	3504	0.010	शान्ति पति छोटेलाल 1/8, श्यामबती पत्नी रघुवीर 1/8, नीरज प्रसाद पिता रघुवीर 1/8, राकेश कुमार पिता रघुवीर 1/8, ददी पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8, दीनदयाल पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8, अनिल कुमार पिता शोभनाथ कुर्मी 1/8	
19	3505	0.010	रामस्वरूप पिता त्रिभुवन पटेल	
20	3506	0.008	हीरालाल, मनसुखलाल, दिलीप, राजीव कुमार, दशोमति पिता त्रिलोक पटेल	
21	3507	0.006	सोनिया बेवा विश्राम दास 1/3, सुनील कुमार पिता विश्रामदास 1/3, कुवर बहादुर पिता विश्रामदास 1/3	
22	3508	0.004	राजीव कुमार पिता त्रिलोक प्रसाद पटेल	
23	3513	0.030	जयशरण प्रसाद सिंह पिता भोला प्रसाद सिंह 1/2, सुधा पुत्री भोला प्रसाद 1/2,	
24	3532/1	0.010	श्रीकांत पिता रामसेवक पटेल	
25	3532/2/1	0.005	राघवेन्द्र पिता लक्ष्मण पटेल 1/3, सुरेन्द्र कुमार पिता लक्ष्मण पटेल 1/3, लजित कुमार पिता लक्ष्मण पटेल 1/3	
26	3533	0.001	आनन्द कुमार पिता कामता प्रसाद कुर्मी	
27	3534	0.130	उपेन्द्र कुमार, शैलेन्द्र कुमार पिता रामजीयावन पटेल	

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्येश्य
1	2	3	4	5
28	3541	0.030	राजकली पति राधिका 1/40, मुन्नालाल पिता राधिका 1/40, लालबहादुर पिता रामरूप 1/10, अशोक कुमार पिता रामरूप 1/10, रामदरश पिता रामरूप 1/10, सुनीता पति सियालाल 1/80, देवकली बेवा मोतीलाल पटेल 1/24, जवाहर लाल पिता विद्याप्रसाद पटेल 1/8, जगत कुमार पिता विद्याप्रसाद 1/8, रामनरेश पिता विद्याप्रसाद 1/8, राजेश कुमार पिता राधिका 1/40, सन्तोष कुमार पिता सौखीलाल 1/24, मृगेन्द्र पटेल पिता मोतीलाल पटेल 1/24	रेल परियोजना निर्माण हेतु
29	3832	0.065	प्रदीप कुमार पिता प्रहलाद 1/2, दयाशरण पिता सुखनदन 1/2 पटेल	
30	3828	0.059	सुर्यवती पिता रामबली लोहार	
निजी भूमि का योग		0.974		

भूमि का बक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-594-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-	सीधी
(क) जिला	छुरहट
(ख) तहसील	अम्हौनिया कला नम्बर 01
(ग) ग्राम	0008 हर्दिहा पदाई
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	रकबा 1.105 हे०
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	

क्रमांक	असरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	20/1/1	0.073	चन्द्रमणि सिंह पिता लालमणि सिंह गहरवार	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	20/1/2	0.074	गोरेलाल सिंह पिता लालमणि सिंह गहरवार	
3	29/1	0.020	सत्यदेव सिंह पिता रंगदेव सिंह	
4	29/2/1	0.020	दिगम्बर सिंह पिता रंगदाव सिंह	
5	468/1/1	0.040	अभिषेक पिता पुष्पराज पटेल	
6	468/1/2	0.160	चन्द्रशेखर पिता पुष्पराज पटेल	
7	471	0.080	मु. सुइया बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता रमाशंकर पटेल	
8	515/1	0.140	मु. सुइया बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता रमाशंकर पटेल	
9	520	0.060	राधेलाल पिता महावीर पटेल	
10	528	0.085	राधेलाल पिता महावीर पटेल	
11	531	0.010	राजेन्द्र सिंह, समशेर सिंह पिता हरिशरण सिंह, आशीष, अनिल पिता भूपेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता हरिशरण सिंह	
12	532	0.025	महेन्द्र पिता नर्वदा पटेल	
13	534	0.002	मु. सुइया बेवा रमाशंकर, पुष्पराज पिता रमाशंकर पटेल	

क्रमांक	असरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
14	21/554/1	0.015	नेत्रपाल सिंह पिता वंशबहादुर सिंह	रेल परियोजना निर्माण हेतु
15	21/554/2	0.015	क्षेत्रपाल सिंह पिता वंशबहादुर सिंह	
16	409/1/1	0.210	सवाई लाल सिंह पिता तेजभान सिंह	
17	409/1/2	0.016	रोहित पटेल पिता राम प्रकाश पटेल	
18	409/2	0.060	मानेन्द्र सिंह पिता मनोज प्रताप सिंह गहरवार	
निजी भूमि का योग		1.105		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी छुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-596-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी
चुरहट
बड़खरा 740
बड़खरा
रकबा 0.258 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	470/5	0.004	रामप्रसाद पिता उमसेन राम ब्रा.	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	539/1	0.008	हरभुषन प्रसाद पिता बैजनाथ राम ब्रा.	
3	542	0.032	बु. मनुउपा बेवा लोलर सिंह	
4	634	0.003	अवधविहारी पिता गोपितराम रामजीयावन, रमाकांत पिता हीरालाल ब्रा. रामसजायस, रमाकांत पिता हीरालाल	
5	643/1	0.124	अरुण कुमार सिंह पिता प्रदुम्न सिंह	
6	643/2	0.004	लक्ष पाल सिंह पिता प्रदुम्न सिंह	
7	643/3	0.004	सुनीता सिंह पिता प्रदुम्न सिंह	
8	643/4	0.005	सीमा सिंह पति अनिरुद्ध सिंह	
9	645	0.062	असुतोश कुमार सिंह पिता अमर बहादुर सिंह	
10	844	0.012	प्रमिला पत्नी देशराज सिंह, सुमन पत्नी देशराज सिंह, देवांश पिता देशराज सिंह, स्वेता, प्रीती, रोली, रिकी पिता देशराज सिंह, संतोष सिंह पुष्पराज सिंह, महेन्द्र सिंह, प्रदीप सिंह पिता कौशल सिंह	
निजी भूमि का योग		0.258		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-598-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पट्टाचौ हल्का का नाम व नम्बर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सीधी
बुयंद
भेलकी 821
0011 भेलकी
रकबा 0.582 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्येश्य
1	2	3	4	5
1	✓19	0.015	नोखेलाल पिता तेजभान राम 1/2, पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/6, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/6, सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/6	रेल परियोजना निर्माण हेतु
2	✓20	0.056	सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2, अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2	
3	✓21	0.050	सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2, अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2	
4	✓23	0.003	पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3, सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3	
5	✓25	0.002	गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8, श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2	
6	✓26	0.130	गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8, श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2	
7	✓27	0.020	गौरव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, प्रणव सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, अजीत सिंह पिता रामकुमार सिंह 1/8, सुमन सिंह बेवा रामकुमार सिंह 1/8, श्यामकुमार पिता अनन्त प्रताप सिंह बघेल 1/2	
8	✓28	0.052	पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3, सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3	
9	✓29/1/1	0.084	सत्यप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2, अमरप्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय 1/2	
10	✓29/1/2	0.004	मिथिला पिता रामनारायण द्विवेदी	
11	✓29/1/3	0.004	सूर्य प्रकाश पिता नोखेलाल पाण्डेय	
12	✓29/1/4	0.004	योगेन्द्र प्रसाद पिता राजमणि मिश्र	
13	✓29/1/5	0.004	कंचन पुत्री नोखेलाल पाण्डेय	

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे० में	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
14	29/1/6	0.004 ✓	सचिन पिता रामनाययण द्विवेदी	रेल परियोजना निर्माण हेतु
✓15	29/1/7	0.004	मनोज कुमार पिता जे.पी. पाण्डेय	
✓16	29/1/8	0.004	रामसुभग पिता रामकृपाल पाण्डेय	
✓17	29/1/9	0.004	अंजली पिता चन्द्रप्रकाश पाण्डेय	
✓18	29/2	0.024	नोजेलाल पिता तेजभान राम ब्रा.	
✓19	30	0.060	निर्मला सिंह पत्नी राजमणि सिंह	
20	32	0.042	पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3, सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3	
21	✓33	0.012	पारवती देवी बेवा जनार्दन प्रसाद 1/3, सुधा शर्मा पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3, सुनीता द्विवेदी पुत्री जनार्दन प्रसाद 1/3	
निजी भूमि का योग		0.582		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-600-भू-अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला	सीधी
(ख) तहसील	रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम	गोइहा टोला
(घ) पटवारी ठेका का नाम व नम्बर	बघवार
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	रकवा 0.252 हे०

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हे०	भूमिस्वामी का नाम	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	137/1	0.252	विश्राम सिंह पिता मर्दन सिंह	रेल परियोजना निर्माण हेतु
निजी भूमि का योग		0.252		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-602-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पूर्णवास और पूर्णव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संक्यवहार नहीं करेगा, या कोई संक्यवहार नहीं करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है। यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला	-	सीधी
(ख) तहसील	-	चुरहट
(ग) ग्राम	-	चदैनिया
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	-	चदैनिया
(ङ.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	-	रकवा 3.518 हे०

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	✓ 7/2	0.340	0.145	निजी भूमि
2	✓ 10	0.810	0.156	निजी भूमि
3	✓ 11	0.320	0.136	निजी भूमि
4	✓ 12	0.400	0.135	निजी भूमि

क्रमांक	असरा नम्बर	कुल रकवा हे० में	अर्जित रकवा हे० में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
5	✓ 35	0.080	0.045	निजी भूमि
6	✓ 36	0.210	0.045	निजी भूमि
7	✓ 88	1.210	0.290	निजी भूमि
8	✓ 89	0.160	0.032	निजी भूमि
9	✓ 94	3.480	0.925	निजी भूमि
10	✓ 95	0.710	0.175	निजी भूमि
11	✓ 96	0.770	0.055	निजी भूमि
12	✓ 100	0.120	0.042	निजी भूमि
13	✓ 109/1	0.340	0.326	निजी भूमि
14	✓ 109/3	0.340		
15	✓ 109/4/1	0.170		
16	✓ 109/4/2	0.170		
17	✓ 110/1/1	0.044		
18	✓ 110/1/2	0.044	0.440	निजी भूमि
19	✓ 110/1/3	0.044		
20	✓ 110/1/4	0.044		
21	✓ 110/1/5	0.044		
22	✓ 110/2/1	0.110		
23	✓ 110/2/2	0.110		
24	✓ 110/3/1	0.110		
25	✓ 110/3/2	0.100		
26	✓ 111/1/1	0.260	0.068	निजी भूमि
27	✓ 111/1/2	0.140		
28	✓ 111/1/3	0.140		
29	✓ 136/1	0.180	0.002	निजी भूमि
30	✓ 136/2	0.100		
31	✓ 136/3	0.080		
32	✓ 137/1/1	0.580	0.446	निजी भूमि
33	✓ 137/1/2	0.040		
34	✓ 137/1/3	0.040		
35	✓ 137/1/4	0.010		
36	✓ 137/1/5	0.010		
37	✓ 137/1/6	0.010		
38	✓ 137/2	0.200		
39	✓ 139/1	0.060	0.055	निजी भूमि
40	✓ 139/2	0.100		
41	✓ 139/3	0.060		
42	✓ 139/4/1	0.010		
43	✓ 139/4/2	0.010		
कुल योग -		12.310	3.518	

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/यमपुर मैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
अधिसूचना धारा-11**

(भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013)

सीहोर, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

प्रकरण क्रं. 0004/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	इमलियाहसन	3.967	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	अनीस खां आ0 हलीम खां	178/3	0.494	0.409
2	अनीस खां आ0 हलीम खां	180/1	0.604	0.346
3	सईद खां आ0 हलीम खां	213	0.283	0.088
4	रियाजउद्दीन आ0 रउफ शेख	215	0.514	0.163
5	सईद खां आ0 हलीम खां	141/2/2, 214/1	0.121	0.046
6	हलिमन बी0बि0 रुडे खा0 कलिमन गफूरन समीरन आ0 रुडे खा0	223	0.174	0.010
7	कमरुनबि बि0 छोटे खा0 साबिर शाहिद जाहिद आबिदआ0 छोटे खा	138, 139, 140, 222, 224, 225/5	1.541	0.307
8	हाजरा बी बेवा नबी खां, इरफान, राजउद्दीन, नईम, सईम, सामिर पुत्रगण नबी खां, मुनीजा बी, कनीजा बी, सजारून बी पुत्रियां नबी खां, मुन्वर खां, छोटे खां, मुस्ताक खां आ. यासिन खां	132/3, 246	1.140	0.209
9	रमजानी खां आ0 मोती खां	130-131/2	0.158	0.011
10	अब्दुल अजीम आ0 अब्दुल अजीज	132/4, 246	0.917	0.076
11	अनीस खां आ0 हलीम खां	178/1	1.537	0.468
12	जुगुन्ना बी बेवा लाल खां, पप्पू खां, राजा खां, सलीम खां पुत्र लाल खां, शहाना बी पुत्री लाल खां	186/2	0.680	0.004
13	अर्पित साहू ना.बा.आ.राजेन्द्र साहू	182/2, 184	1.700	0.046

14	सईद खां आ0 हलीम खां	178/4	1.295	0.436
15	रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ	211/1	0.311	0.029
16	रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ	212	0.239	0.186
17	रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ	216	0.611	0.186
18	मजीद खां आ.रुड़े खां	138, 139, 140, 222, 224, 225/1	1.542	0.115
19	हलिमन बी बेवा रुड़े खां, कलिमन, गफूरन, समीरन आ. रुड़े खां	138, 139, 140, 222, 224, 225/2	0.214	0.068
20	रियाजउद्दीन आ. अब्दुल रउफ	217	0.231	0.027
21	नजमा खातून बेवा' मो. ताहिर	134/1, 136/2	0.979	0.052
22	जीनत बी, जेतून बी पुत्री नजीब खां शफीक खां आ. हबीब खां	132/2, 246	1.320	0.011
23	इमामन बाई, कल्लो बाई, जैतून बी पुत्री मोती खां	135/1/2, 136/1	0.202	0.202
24	शाहिदा आ. मो. साबिर	159/2	0.874	0.472
सम्पूर्ण कुल योग		सम्पूर्ण कुल कित्ता 24	17.681	3.967

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।

(3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

प्रकरण क्रं. 0008/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सांसाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	सोनकच्छ	1.853	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	मनमोहन सिंह आ० रमेशचंद्र पाटीदार	13/2	1.756	0.082
2	मनमोहन सिंह आ० रमेशचंद्र पाटीदार	12	1.299	0.014
3	गीता प्रसाद आ० बैजनाथ पाटीदार	10/3	2.326	0.058
4	गीता प्रसाद आ० बैजनाथ पाटीदार	9	1.135	0.013
5	बाबूलाल ओमप्रकाश आ० सूरजसिंह गयाबाई, कृष्णाबाई पुत्री सूरजसिंह ठाकुर	88/2, 89, 90, 91, 93	2.873	0.061
6	रघुवीर सिंह आ० मांगीलाल ठाकुर	88/5, 89, 90, 91, 93	4.047	0.038
7	जगदीश सिंह आ० पन्नालाल ठाकुर	181/1/1	0.878	0.057
8	जगदीश सिंह आ० पन्नालाल ठाकुर	180/1	0.336	0.178
9	सुनील सिंह आ० राजेश सिंह ठाकुर	180/2/1	0.168	0.021
10	दीपक सिंह आ० राजेश सिंह ठाकुर	181/1/2/2	0.439	0.080
11	दीपक आ० राजेश सिंह ठाकुर	180/2/2	0.168	0.046
12	अमर सिंह किंगरानी आ० आर किंगरानी निवासी भोपाल	184/2	1.694	0.040
13	प्रेमबाई बेवा उमराव, मनोज, विनोद, मांगीलाल आ० उमराव, पार्वती, सुनीताबाई, रेखाबाई, अनीताबाई पुत्रियां उमराव बेडिया	186/6	0.484	0.007

14	सौरमबाई बेवा राधेश्याम, हरभजन, विष्णु आ० राधेश्याम सुतार	186/7	0.971	0.056
15	गुलशन बोलानी आ. आर. बोलानी	186/4	1.942	0.368
16	रामदयाल आ० गंगाधर देशवाली	188/6/2	2.631	0.005
17	बैजनाथ आ० बालमुकंद पाटीदार	11/1	0.930	0.334
18	बैजनाथ आ० बालमुकंद पाटीदार	310/12	1.947	0.004
19	बाबूलाल ओमप्रकाश आ० सूरजसिंह गयाबाई कृष्णाबाई पुत्री सूरजसिंह	94	1.109	0.045
20	द्रोपतीबाई बेवा फूल सिंठ ठाकुर	100/3	1.319	0.049
21	विक्रम सिंह आ० विश्राम सिंह देशवाली	178/1/1	0.450	0.110
22	मुरली आ० परसराम पाटीदार	284/3/1	2.566	0.187
	सम्पूर्ण कुल योग		31.468	1.853

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।
- (3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

प्रकरण क्रं. 0003/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	सतपोन	0.328	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	राधा अग्रवाल पत्नि श्री कैलाश अग्रवाल	72/1/2	1.789	0.142
2	हरिसिंह आठ नंदराम	72/1/1	1.793	0.186
कुल योग			3.582	0.328

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।

(3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

प्रकरण क्र. 0005/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सांसाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	झरखेड़ा	7.565	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	सरजू बाई पत्नी नाथूराम	697/3/4/2	1.011	0.424
2	रउफ खां आ0 लतीफ खां	698/1/2/5	1.012	0.377
3	राजा खां आ0 लतीफ खां	698/1/2/6	1.012	0.512
4	सुमन पत्नी इमरत सिंह	690/2	0.809	0.002
5	मोहन सिंह आ0 इमरत सिंह	690/3	1.471	0.150
6	अर्जुन आ0 इमरत सिंह	690/4	0.460	0.064
7	रघुवर दयाल आ0 नंदराम, अवधनारायण आ0 नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नी लखनलाल पुत्री नंदराम	691/1/1	0.152	0.029
8	धनलाल, चंदनसिंह, नर्बदाप्रसाद पिता रामप्रसाद, रामश्री पुत्री रामप्रसाद	691/1/2	0.455	0.065
9	सुशीला बाई पत्नी भूरसिंह	691/5	0.405	0.006
10	रघुवर दयाल आ0 नंदराम, अवधनारायण आ0 नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नी लखनलाल पुत्री नंदराम	693/2/1	0.012	0.012
11	सुशीला बाई पत्नी भूरसिंह	693/2/2	0.036	0.024
12	धनलाल, चंदनसिंह, नर्बदाप्रसाद पिता रामप्रसाद, रामश्री पुत्री रामप्रसाद	694/1/2	0.380	0.028
13	नंदकिशोर आ0 ब्रजलाल	678/2/4	0.357	0.155
14	अकरम हुसैन आ0 सैयद अख्तर हुसैन	680/2	1.619	0.028

15	अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन	679/7	0.154	0.042
16	अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन	679/6	0.150	0.060
17	अकरम हुसैन आ० सैयद अख्तर हुसैन	679/5	0.405	0.062
18	चंदाबाई पत्नि कामताप्रसाद	265	1.193	0.232
19	कामताप्रसाद आ० मांगीलाल	266/1	0.748	0.047
20	रामनारायण आ० मांगीलाल	258, 259, 260/4	0.757	0.144
21	मांगीलाल आ० सालगराम	258, 259, 260/3	2.388	0.009
22	रामनारायण आ० मांगीलाल	247/6, 261/2, 254	0.526	0.106
23	कैलाश आ० नारायणसिंह	243/2/2/1	1.210	0.229
24	पयूजन इफ्फा इस्द्रक्वर प्राय. लिमि.चेयरमेन राजेश हजारी आ० सुखलाल एवं अन्य प्लाटधारक	240/15	1.315	0.084
25	भूपेन्द्र कौर पत्नि गुरुवचन सिंह	240/11	1.213	0.036
26	हिरदेश आ. दुर्गाप्रसाद	240/18	0.991	0.052
27	बाबू खां आ० मोर खां	237/3/2/1	0.271	0.028
28	सिद्धनाथ आ. नन्तूलाल	236/5	1.153	0.253
29	साउद खां आ. अहमद खां एवं अन्य प्लाट	235/2	1.011	0.112
30	फूलसिंह आ. दयाराम	697/3/10	0.947	0.196
31	हमीद खां आ. शकूर खां	698/1/2/4	1.821	0.134
32	अर्जुन सिंह आ० इमरत सिंह	698/1/2/1	1.822	0.379
33	मोहन आ. इमरत सिंह गेहलोत	692/2	0.308	0.031
34	मोहन आ. इमरत सिंह गेहलोत	692/3	0.526	0.031
35	धनलाल, चंदन, नर्बदा प्रसाद आ. रामप्रसाद, रामश्री पुत्री रामप्रसाद	693/1/2	0.115	0.009
36	नर्मदा प्रसाद आ. रामप्रसाद हि. 1/5, मंगलसिंह, राजेश, अजय आ. नर्बदा प्रसाद हि. 3/5 उषा पुत्री नर्मदा प्रसाद हि. 1/5	692/1	0.688	0.009
37	रघुवर दयाल पिता नंदराम, अवधनारायण पिता नंदराम, सोहद्रा बाई पत्नि लखनलाल पुत्री नंदराम	694/2/1	0.127	0.006
38	उपेन्द्र आ. तुलसीराम	678/5	1.619	0.411
39	अनिल आ. ब्रजलाल	678/2/3	0.344	0.116
40	सुगनाबाई पत्नि अशोक पाटीदार	256, 257/2	0.979	0.302
41	रामनारायण आ. मांगीलाल	256/9, 257	0.121	0.062
42	अलीशा पत्नि खालिद खान	243/2/7	0.405	0.074
43	खालिद आ. मरहम खालिद बदर	243/2/8	0.489	0.189
44	हर्षित आ. आर. के. गुप्ता	243/2/10	0.769	0.357
45	ज्योति पत्नि अशोक गोयल	244/2	0.511	0.074

46	महेश पाटीदार आ. रामचरण, गायत्री पत्नि महेश पाटीदार	240/7/1/3	1.000	0.160
47	दुर्गाप्रसाद, दौलतराम आ. भंवर जी	240/19	0.511	0.194
48	विष्णु प्रसाद आ. नन्नुलाल	238/1/1, 239	0.350	0.037
49	बाबू खां आ. मोर खां	237/4	2.955	0.690
50	शमशाद बेगम पत्नि मो. सलीम	237/3/4	0.809	0.276
51	अदिल आ. सलीम परवेज	237/2/1	0.515	0.035
52	सईद खां आ. मोर खां	237/1/2/1	0.336	0.145
53	शांति बाई पत्नि सिद्धनाथ पाटीदार	236/7	0.809	0.137
54	झरखेडा तिरुपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी समिति अध्यक्ष सिद्धनाथ आ. नन्नुलाल पाटीदार	236/6	1.214	0.085
55	झरखेडा तिरुपति एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी समिति अध्यक्ष सिद्धनाथ आ० नन्नुलाल पाटीदार	236/1	0.219	0.054
सम्पूर्ण कुल योग		सम्पूर्ण कुल किता 55	42.985	7.565

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।
- (3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

प्रकरण क्रं. 0006/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	दोराहा	2.329	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	नवाब खां आ० मूनू खां	531/1/2	0.607	0.059
2	अनवरी बी वेवा हसीन खां, वसीम खां, नसीम खां, अजीज खां, सलमान, इरफान आ० हसीन खां	542, 543/2	2.023	0.014
3	शम्भू खां आ० मूनू खां	542, 543/3	0.385	0.032
4	मानसिंह आ० गोविंद देशवाली	544/2	0.979	0.010
5	मुकेश, राजेन्द्र, सुनील आ० रामकिशन	544/1	1.408	0.005
6	प्रेमनारायण आ० गोविंद	588/1	1.408	0.007
7	धीसीलाल आ० बंशीलाल, सावित्री बाई पुत्री बंशीलाल	552/2	0.186	0.002
8	नसरीन पत्नि कमर अली	583/7/2, 590, 591, 596	1.113	0.009
9	इमरान खां आ० रहीश खां	583/1, 590, 591, 596	0.938	0.011
10	बालाप्रसाद आ० तुलसीराम	583/3, 590, 591, 596	3.496	0.144
11	बबीता सिंह पत्नि विनोद सिंह	582/2/2	1.056	0.032
12	संतोष सिंह, विनोद सिंह आ० धीरज सिंह, शारदा पत्नि मनोहर, संजयसिंह आ० मनोहरसिंह, प्रबंकसिंह आ० राजेश सिंह, रजनी पत्नि राजेश सिंह जाति ठाकुर, तारादेवी, अलका पुत्री धीरजसिंह	578/2, 580, 581	3.723	0.018
13	कमलेश आ० रामनारायण	732/1	1.708	0.041

14	मोहम्मद आलम आ० अहसान उल्ला	736 / 1	1.224	0.034
15	मनोहर आ० नन्तूलाल	708 / 1, 714, 713 / 2	0.708	0.213
16	इन्शा उल्ला आ० मुसाहब खां	905/770/2	1.440	0.004
17	ओमप्रकाश आ० देवबगस	706 / 2	0.931	0.018
18	छोटे सिंह आ० मुकुट सिंह	695	0.817	0.053
19	अमरसिंह आ० रामप्रसाद	693/1/1	2.456	0.075
20	अमरसिंह आ० रामप्रसाद व अन्य पिलाट धारक	689, 690/2	1.832	0.033
21	निर्मला बाई पत्नि अमरदास व अन्य	690/1/3	0.202	0.032
22	निर्मला बाई पत्नि अमरदास व अन्य	690/1/4	0.202	0.026
23	मुकेश आ० रामकिशन	553/1/2	0.700	0.220
24	शहजादे आ० हनीफ खां	583 / 7 / 1, 590, 591, 596	0.470	0.222
25	हकीम खां आ. शरीफ खां	583 / 11, 590, 591, 596	0.943	0.417
26	मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला	736 / 2	1.324	0.013
27	मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला	738 / 2	0.016	0.016
28	मोहम्मद सरबर आ. अहसान उल्ला	739 / 1	0.181	0.078
29	हरिओम आ. वृंदावन	706 / 4	1.024	0.426
30	मनोहर आ० नन्तूलाल	707 / 3	0.109	0.065
सम्पूर्ण कुल-योग		सम्पूर्ण कुल किता 30	33.609	2.329

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।

(3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अंघीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

प्रकरण क्रं. 0007/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सांसाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	बैरागढ़ खुमान	3.984	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	सौरमबाई पत्नि ज्ञानसिंह	537/2	0.971	0.367
2	भीमराज आ० केवलराम	537/4	1.243	0.315
3	ममता बाई पत्नि भीमराज	291/1	1.015	0.019
4	महेश, सुरेश आ० दौलतराम	304, 305/1/1	1.157	0.117
5	रेखाबाई पत्नि मोर सिंह	302/1	0.324	0.026
6	सुगन बाई पत्नि दौलत राम	303/1/1	0.267	0.139
7	भारत सिंह आ० मोतीलाल	262, 263/1/2	1.566	0.380
8	हरीसिंह आ० मोतीलाल	242/3/3	1.214	0.409
9	बाबूलाल आ० पर्वतसिंह	305/2/1, 306, 589/306/1	0.405	0.036
10	सरजू बाई बेवा पर्वत सिंह, चंदर सिंह, बाबूलाल, सुबाकसिंह, कृष्णाबाई, विद्याबाई, सुनीताबाई आ. पर्वत सिंह	305/2/2, 306/589	0.243	0.043
11	मनोज आ० नन्दकिशोर	543/1, 545, 547	1.482	0.403
12	भगवानसिंह, राधाबाई आ० भागीरथ	292/2, 293/2	1.137	0.120
13	गीताप्रसाद आ० बद्रीप्रसाद	304/3/2, 305	1.079	0.006

14	जीवन मेवाडा आ० बट्टीप्रसाद	304/3/3, 305	1.079	0.003
15	राजू आ० रामसिंह .	238/2/2	0.607	0.126
16	महेश आ० बापूलाल	240/2/1	1.885	0.487
17	सनोज आ० नंदकिशोर	543/2/1, 545, 547	0.405	0.010
18	मांगीलाल आ० प्रभुलाल	264/3	0.145	0.057
19	गीता बाई पत्नि भारत सिंह	262/1/3/2, 263	0.809	0.001
20	रामबाबू आ० भारतसिंह	262/1/3, 263	0.405	0.179
21	कमलाबाई पत्नि शिवनारायण	262/1/5, 263/1/5	0.607	0.085
22	हेमराज आ. बंशीलाल	256/2/2/1, 256/3/1, 256/4/2/1, 257/1, 258/2/1, 261/1/1	0.684	0.068
23	हरिसिंह आ० मोतीलाल	243/5/2	0.486	0.205
24	राधेश्याम आ० रामसिंह	238/2/1	0.607	0.270
25	घनश्याम आ० छोटे राम	239/1/1	0.267	0.052
26	घनश्याम आ० छोटे राम	240/1	0.405	0.007
27	रवि आ० बापूलाल	239/1/6	1.885	0.005
28	रेखा बाई पत्नि मोर सिंह	303/1/2	0.041	0.041
सम्पूर्ण योग		सम्पूर्ण कुल किता 28	22.420	3.984

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।

(3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

(4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

प्रकरण क्रं. 0002/अ-82/2022-23, - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। रामगंज मंडी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण, धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अनुसूची -1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सीहोर	श्यामपुर	बिछिया	2.327	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल	रामगंज मण्डी से भोपाल नवीन रेल लाईन परियोजना

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रस्तावित अर्जित रकबा
1	नसरुखां आ० शकूर खान	420/1/1	0.927	0.053
2	लईक खां आ. हबीब खां, हि. 1/2, नजरुन बी पत्नि भूरे खां, अजहर खान, शिफा, कन्जीला, ना.बा. आ० भूरे खां हि. 1/2	401/4/1	0.906	0.110
3	रहीसन बी पत्नि हबीब खां	401/4/3	1.493	0.131
4	कल्लू खां आ० फौज खां	509/401/1/1/3	0.337	0.002
5	रशीद खां आ० आमीर खां	509/401/1/3	1.671	0.169
6	वहीदन बी पत्नि वहीद खां	509, 401/1/1/5	0.068	0.008
7	वहीदन बी पत्नि वहीद खां	509, 401/1/1/2	0.854	0.023
8	रशीद खां आ० आमीर खां	399/2	1.206	0.280
9	शफरुखा आ० आमिर खां	507/399/1	2.100	0.094
10	शफरुखा आ० आमिर खा	506/399	0.567	0.051
11	माधव बिहारी लाल आ० अवध बिहारी लाल	393/3	2.023	0.050
12	कौशल्या पत्नि गणेशराम	391/1/2/2	0.700	0.013
13	प्रेमनारायण आ० तुलाराम	391/1/1	2.109	0.070
14	जसमत सिंह आ० संवरजी	392/5/1	0.635	0.014
15	भगवान आ० संवरजी	379/3, 379/2, 381/516/379/3	1.036	0.233

16	अवतार सिंह आ० शिवचरण	380/3	1.888	0.067
17	नर्मदा प्रसाद आ० लीलाकिशन	380/1/2	1.521	0.101
18	बनेसिंह आ० लीला किशन	379/1/1/1, 379/2, 381/516/379/1/1/1	1.578	0.207
19	सोदान सिंह आ० लीला किशन	379/1/3/1, 379/2, 381/516/379/1/3/1	1.174	0.140
20	हेमसिंह आ० लीलाकिशन	379/1/2/1, 379/2, 381/516/379/1/2/1	1.569	0.081
21	राजबाई पत्नि भंवर जी	392/6	0.765	0.098
22	राजबाई पत्नि भंवर जी	392/3/1	0.567	0.196
23	भगवान आ० भंवरजी	392/7/1	0.941	0.133
24	ताराबाई पत्नि नारायण सिंह	391/1/2/3	0.704	0.003
	सम्पूर्ण कुल योग	सम्पूर्ण कुल किता 24	27.339	2.327

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी सीहोर के कार्यालय में किया जाता है।
- (3) अधिनियम की धारा 11(4) के तहत कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (4) अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (सठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीहोर में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग

क्र.-126-भू-अर्जन-2022

नरसिंहपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2022

रा0मा0 क. 11/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- करेली कलां प.ह.नं.- 31 तहसील- गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

चूँकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP/RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : करेली कलां |
| 4. प.ह.न. | : 31 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 0.076 हे. |

अनूसूची 2

स. क्र.	हितवद्ध व्यक्ति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा न.	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	3	5
1	साहीन खां पिता यासीन खां मुसलमान सा. देह	भूमि स्वामी	279	0.076
			कुल योग	0.076

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-134-भू-अर्जन-2022

नरसिंहपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2022

रा0मा0 क. 10/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- बेलखेडी खुर्द प.ह.नं.- 20 तहसील- गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

चूँकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क्र. SIA/MP/RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1: जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : गोटेगांव |
| 3. ग्राम | : बेलखेडी खुर्द |
| 4. प.ह.न. | : 20 |
| 5. नं.बं. | : 425 |
| 6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 0.487 हे. |

अनुसूची 2

स.क्र.	हितवद्ध व्यक्ति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	देवीदास संदीपदास पिता वृजेन्द्रदास निधिदास जोजे संदीप दास जाति वैष्णव सा. झांसीघाट	भूमि स्वामी	223	0.048
2	भूदान समिति नरसिंहपुर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	224	0.040
3	भैरोसिंह वल्द सरदार सिंह लोधी सा.देह	भूमि स्वामी	226/2	0.016
			226/1	0.080
4	रामचरन मुलाम नर्मदा प्रसाद भारत श्रीराम वल्द हक्कू मेहरा सा. रायखेड़ा	भूमि स्वामी	227	0.303
कुल योग				0.487

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-136-भू-अर्जन-2022

सा0मा0 क. 13/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- मेहका प.ह.न.- 13 तहसील- नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

चूँकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP/RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : नरसिंहपुर |
| 3. ग्राम | : मेहका |
| 4. प.ह.न. | : 13 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 0.308 हे. |

अनूसूची 2

स.क्र.	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	स्वामित्व का प्रकार	खसरा न०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	सुन्दरलाल वल्द मुलाम सिंह लोधी सा. झामर	भूमि स्वामी	6/14, 8/1	0.081
			6/18	0.121
2	घनश्यामसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	59/1/5	0.016
3	मनकसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	59/1/2	0.041
4	वेरनसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	59/1/4	0.008
5	उमेद सिंह वल्द खूबसिंह लोधी सा. देह	भूमि स्वामी	59/19, 59/20	0.041
	कुल योग			0.308

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अदंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

क्र.-126-भू-अर्जन-2022

रा0मा0 क. 14/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- खिरेंटी प.ह.नं.- 07 तहसील- साईखेडा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज एवं पहुंच मार्ग संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

चूँकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/MP/RIV/279855/2022 में कार्यवाही की जा रही है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती है, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनुसूची 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. परियोजना का नाम | : चिनकी बोरास बराज एवं पहुंच मार्ग हेतु संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य । |
| 2. भूमि का विवरण | |
| 1. जिला | : नरसिंहपुर |
| 2. तहसील | : साईखेडा |
| 3. ग्राम | : खिरेंटी |
| 4. प.ह.न. | : 07 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : 1.893 हे. |

अनुसूची 2

स.क्र.	हितवद्ध व्यक्ति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	अर्जित रकमा हे.
1	2	3	4	5
1	नेतसिंह बाबूलाल पिता गजराज सिंह किरार सा.देह	भूमि स्वामी	151/2	0.240
2	शारदाबाई पत्नि रमेश कुमार ब्रा. सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	151/3	0.016
3	मीना पुत्री महेन्द्र किरार सा. भैरोपुर	भूमि स्वामी	152/3	0.004
4	माखनसिंह पिता मनोहरलाल किरार सा. खिरैटी	भूमि स्वामी	136/3, 137/4, 149/2	0.080
5	दयाशंकर पिता निरंजन सिंह किरार सा.नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	137/5, 149/3, 150/2	0.105
6	भुजबल पिता सरदार सिंह किरार सा. नरसिंहपुर	भूमि स्वामी	137/1, 137/2, 149/1, 150/1	0.092
7	शांतिबाई पुत्री भुजबल सिंह किरार सा.देह	भूमि स्वामी	137/9,137/10, 149/4,150/3	0.136
8	लोटनसिंह पुत्र घासीराम किरार सा.देह	भूमि स्वामी	138/2	0.184
9	पंकज वल्द कठोरी लाल साहू सा. देह	भूमि स्वामी	120/2/5/2	0.085
10	दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा.देह	भूमि स्वामी	120/2/1/2/3/7	0.180
11	चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह बल्द हरलाल किरार सा. देह	भूमि स्वामी	120/2/4/6	0.065
12	नीरज पिता कड़ोरीलाल साहू सा.देह	भूमि स्वामी	120/2/5/1	0.060
13	रूपसिंह वल्द मुंशीलाल उमाबाई पत्नि रूपसिंह गौड़ सा.देह	भूमि स्वामी	120/3/1	0.150
14	शिवचरन वल्द धर्मदास शांतिबाई वर्षा पुत्री धर्मदास मेहरा सा.देह	भूमि स्वामी	120/3/2	0.012
15	छोटेलाल पिता सुन्दर लाल प्रजापति सा.देह	भूमि स्वामी	95/1-2	0.012
16	शांतिबाई पत्नि गोधन सिंह किरार सा.देह	भूमि स्वामी	99/2	0.056
17	धर्मदास पिता गोविन्द सिंह किरार सा.देह	भूमि स्वामी	99/4, 99/5	0.265
18	कैलाश पिता करन सिंह डीमर सा.देह	भूमि स्वामी	100	0.115
19	मदन पिता घासीराम किरार सा.देह	भूमि स्वामी	101	0.028
20	सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरुषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा. सा.देह	भूमि स्वामी	102/3, 103	0.008
कुल योग				1.893

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रा-नों अवती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रोहित सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 0007-अ-59-2020-21-पत्र क्रमांक-वा-1-भू-अर्जन-2022

हरसूद, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

प्ररूप-“घ”

[नियम -6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क/वा-1/भू-अर्जन/2021/हरसूद, दिनांक 16/03/2021 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- उण्डेलमाल, प.ह.न 43, रा.नि.मं.- 03, छनेरा, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम- उण्डेलमाल, प.ह.न 43	25	0.066
			26/3	0.016
			28/2	0.022
			28/3	0.044
			28/4	0.018

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— उण्डेलमाल, प.ह.न 43	28/5	0.020
			33/2	0.047
			34/1	0.013
			34/2	0.052
			34/3/1	0.008
			34/3/2	0.021
			34/3/3	0.021
			34/4	0.028
			40	0.083
			48	0.107
			57/3	0.005
			57/4	0.022
			63/1	0.034
			64	0.025
			68/1/1	0.011
			68/1/2	0.014
			68/1/3	0.017
			68/1/4	0.018
			68/1/5	0.012
			71/1	0.012
			71/2	0.023
			71/3	0.009
			73/1	0.075
			73/2	0.008
			119/1	0.035
			119/2	0.067
			119/3	0.025
			119/4	0.021
			133/1	0.035
			133/2	0.023
133/3	0.025			
133/4	0.080			
133/5/1	0.010			
133/5/2	0.011			
खण्डवा	हरसूद	ग्राम— उण्डेलमाल, प.ह.न 43	135/3	0.045
			135/4	0.029
			140/1	0.099
			140/3/2	0.024
कुल योग			43	1.380

दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश

मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

विभागीय प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2022

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1/2015/1/9 दि.27.03.2015 के परिपेक्ष्य में सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 25-28 जुलाई 2022 की अवधि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय वन सेवा परीक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक के लिये दि. 25.07.2022 को प्रथम-वन विधि, दि. 26.07.2022 को द्वितीय-सामान्य विधि, दि. 27.07.2022 को तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा एवं वनक्षेत्रपाल/ उपवनक्षेत्रपाल के लिये दि. 25.07.2022 को प्रथम-प्रक्रिया, दि. 28.07.2022 को द्वितीय-लेखा, दि. 27.07.2022 को तृतीय-सामान्य विधि तथा दि. 28.07.2022 को हिन्दी विषयों पर सम्पन्न हुई थी, जिसमें सम्मिलित निम्न उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

// भारतीय वन सेवा परीक्षाधीन एवं सहायक वन संरक्षक परीक्षा परिणाम //

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
--: बालाघाट-संभाग :-					
1	श्री मीना अवधेश कुमार शिवकुमार	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	सामान्य विधि	-
2	श्री आशुतोष सिंह	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
3	श्री सुरेश कुमार कुशरे	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
4	श्री धर्मन्द्र बिसेन	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
5	श्री छत्रपाल सिंह जादौन	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
6	सुश्री नेहा घोड़ेरवर	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
7	श्री आकाश राजपूत	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
--: बैतूल-संभाग :-					
8	श्री नितेन्द्र राजपूत	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
9	श्री फिरोज खान	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
10	श्री रवि सिंह	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
11	सुश्री पूजा नागले	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
12	श्री नीतेश कुमार	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
13	श्री राहुल शर्मा	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
--: भोपाल-संभाग :-					
14	श्री धीरेन्द्र सिंह	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
15	श्री अर्जुन कुशवाहा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
16	श्रीमती अनामिका चोपड़े नागरे	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	प्रक्रिया तथा लेखा
17	श्री शिवपाल पिपरदे	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
18	श्री संजय सिंह राजपूत	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
19	श्री विनोद सिंह	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
20	श्री नितिन कुमार निगम	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
21	श्री आशीष मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
--: छतरपुर-संभाग :-					
22	श्री विनायक कुमार गौतम	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
23	श्री राजेन्द्र पस्तौर	उपवनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
24	श्री वैभव सिंह चंदेल	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
25	श्री अजीत सिंह जाट	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
--: छिंदवाड़ा-संभाग :-					
26	श्रीमति एस0दीपिका	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
27	श्री अंचल भारद्वाज	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
28	श्री आशुतोष महादेव सिंह ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-

क्रं.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
29	श्रीमति एस0दीपिका	भावसे प्रशिक्षु	हिन्दी		
--: ग्वालियर-संभाग :-					
30	श्री सत्येन्द्र सिंह धाकड़	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
31	कृ. साधना चौहान	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
32	श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
33	श्री धर्मेन्द्र शर्मा	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
34	श्री सागर शुक्ला	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
35	श्री सुखदेव शर्मा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
--: इंदौर-संभाग :-					
36	श्री आकाश तोमर	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
37	श्री शशांक शुक्ला	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
38	श्री योगेश कुमार यादव	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
39	श्री प्रवेश पाटीदार	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
40	श्री धरम सिंह सोलंकी	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
--: जबलपुर-संभाग :-					
41	श्रीमती लतिका तिवारी/उपाध्याय	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
42	श्री क्रांति झारिया	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
43	श्री अजय कुमार बकौडे	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
44	श्री विवेक मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
45	श्री आकाश जैन	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
46	सुश्री सोनम जैन	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
--: खण्डवा-संभाग :-					
47	कुमारी अंजली लौवंशी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
48	श्री पीयूष गौतम	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	-	-
49	श्री सचिन लौवंशी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
50	श्री अभिषेक जाट	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
--: रीवा -संभाग :-					
51	श्री नरेन्द्र त्रिपाठी	सहायक वन संरक्षक	-	सामान्य विधि	-
--: सागर -संभाग :-					
52	श्री सुजित जे. पाटिल	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
53	श्री ऋषि कुमार प्रजापति	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
54	श्री श्रेयांश कुमार जैन	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
55	श्री लक्ष्मी सिंह यादव	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
56	सृष्टि नजा	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
--: सिवनी -संभाग :-					
57	सुश्री गीतांजली जे.	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	सामान्य विधि	-
58	डॉ. बी.एस. केशवाल	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
59	श्री मयंक उपाध्याय	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
60	श्री भीम सिंह	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
61	सुश्री गीतांजली जे.	भावसे प्रशिक्षु	हिन्दी		
--: शहडोल -संभाग :-					
62	श्री पप्पू सिंह वास्केल	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
63	श्री मुकेश कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
64	श्री तरुण कुमार डहरिया	सहायक वन संरक्षक	प्रक्रिया तथा लेखा		

क्रं.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
65	श्री विवेक सिंह	भावसे प्रशिक्षु	वन विधि	सामान्य विधि	
66	श्री दिनेश कुमार पटेल	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
67	श्री अप्पित मैराल	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
68	श्री दीपकराज प्रजापति	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
--: शिवपुरी -संभाग :-					
69	कुमारी पिकी रघुवंशी	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
70	श्री पराग गुप्ता	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
71	कुमारी शुभी जैन	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
72	श्री सौरभ द्विवेदी	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
73	सुश्री मोनिका ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
74	श्री अतुल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
75	सुश्री प्रेरणा दुबे	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
76	श्री कल्याण सिंह धाकड़	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
77	श्री प्रतीक जैन	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
78	श्री आकाश साहू	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
79	श्री यशबंधु	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
--: उज्जैन -संभाग :-					
80	श्री विक्रम सिंह भदौरिया	वनक्षेत्रपाल	-	-	प्रक्रिया तथा लेखा
81	सुश्री ऋतु चौधरी	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
82	सुश्री विधि सिरोलिया	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
83	श्री रतन सिंह सिंगोड	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
84	श्री सरदार सिंह चौहान	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	-
85	श्री शैलेन्द्र सोलंकी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	-
86	श्री ब्रजेन्द्र तिवारी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
87	श्री चंद्रसिंह पवार	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
88	श्री शशांक तिवारी	वनक्षेत्रपाल	वन विधि	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा
89	श्री गौरव गुप्ता	वनक्षेत्रपाल	-	सामान्य विधि	प्रक्रिया तथा लेखा

वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल परीक्षा परिणाम

क्रं.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
--: बालाघाट-संभाग :-					
1	श्री नितेश धुर्वे	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	सामान्य विधि
--: बैतूल-संभाग :-					
2	श्री दुर्गेश कुमार मालवीय	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	सामान्य विधि
3	श्री गोविंद वासनिक	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
4	श्री मधुसूदन पवार	सहायक परियोजना क्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	सामान्य विधि
5	श्री राजकुमार आर्य	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	सामान्य विधि
6	श्री ज्ञानसिंह उड़के	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
7	श्री नीतेश कुमार	वनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
8	श्री कैलाश खातरकर	उपवनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
--: भोपाल-संभाग :-					
9	श्री राहुल सिंह ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	सामान्य विधि
10	श्री नवनीत झा	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
11	श्री सिद्धार्थ सिंह	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-

क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पद	परीक्षा विषय (जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं)		
12	श्री अक्षय सिंह तोमर	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
13	श्री निलेश कुमार पवार	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
14	श्री शंकर सिंह भल्लावी	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
15	श्री रोहित पटेल	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
16	श्री सृजन जाधव	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
--: छतरपुर-संभाग :-					
17	श्री राजेन्द्र प्रसाद अरजरिया	उपवनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
18	श्री लक्ष्मण प्रसाद सौर	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
19	श्री शीलसिन्धु श्रीवास्तव	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
--: छिंदवाड़ा-संभाग :-					
20	श्री प्रशांत शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
21	श्री सुखनंदन आतरामे	उपवनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
--: ग्वालियर-संभाग :-					
22	श्री सुनील सिंह सेंगर	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
--: होशंगाबाद-संभाग :-					
23	श्री महेन्द्र कुमार गौर	उपवनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
--: इंदौर-संभाग :-					
24	श्रीमती संगीता ठाकुर	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
25	श्री शिवशंकर चतुर्वेदी	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
26	श्री विवेक सिंह पटेल	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
27	श्री कमलेश प्रसाद मिश्रा	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
28	श्री विक्रम सिंह निनामा	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
--: जबलपुर-संभाग :-					
29	श्री अभिषेक सिंह	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
30	श्री बसंत शर्मा	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
31	श्री उत्तम मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	-
32	वर्षा सिंह बिसेन	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
33	श्री अजय कुमार मिश्रा	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
--: खण्डवा-संभाग :-					
34	श्रीमती मनीषा बुन्देला	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	-
35	श्री वैभव उपाध्याय	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	सामान्य विधि
36	श्री तरुणेंद्र सिंह	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
37	श्री जय प्रकाश झारिया	उपवनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
--: रीवा-संभाग :-					
38	श्री छोटेलाल कोल	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
--: सागर-संभाग :-					
39	श्री अभिनव दिवाकर	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
40	श्री लखन सिंह ठाकुर	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
41	श्री राजू कोरी	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
--: सिवनी-संभाग :-					
42	श्री राम सिंह अरमेती	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
43	श्री नारायण प्रसाद डहेरिया	उपवनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
44	श्री शिवनाथ सिंह कोरी	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
--: राहडोल-संभाग :-					
45	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	उपवनक्षेत्रपाल	-	-	सामान्य विधि
46	श्री अर्पित मैराल	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
47	श्री प्रमांशु धुर्वे	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
--: शिवपुरी-संभाग :-					
48	श्री सौरभ द्विवेदी	वनक्षेत्रपाल	-	लेखा	-
49	श्री लक्ष्मीनारायण शाक्य	उपवनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
50	श्री वीरेन्द्र सिंह पिरौनिया	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	-	-
--: उज्जैन-संभाग :-					
51	श्री अंकित सोनी	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि
52	श्री भानुप्रताप सिंह सौलंकी	वनक्षेत्रपाल	प्रक्रिया	लेखा	सामान्य विधि

शशि मलिक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग देवास जिला देवास, मध्यप्रदेश

क्र. 285-रीडर-1-2022

देवास, दिनांक 18 नवम्बर 2022

प्रारूप "ख"
(नियम 5 का उप नियम (2))

प्रकरण क्रमांक 0027/अ-82/2022-23 राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवास में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाइन, केबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) हेतु ग्राम बांगरदा तहसील देवास जिला देवास (म.प्र) में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8, सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाएगी। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है। उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवास मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची :-

क्र.	ग्राम का नाम	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता का नाम सहित	सर्वे नंबर	प्रभावित रकबा	भूमि का प्रकार सिंचित/असिंचित/पडत
1.	बांगरदा	राहुल पिता मुरलीधर	23/1	0.0700	सिंचित
2.	"--"	सरदारसिंह पिता मोतीसिंह	18/1	0.1960	सिंचित
3.	"--"	गजराजसिंह पिता छतरसिंह	16/5	0.0945	सिंचित
4.	"--"	मांगूबाई विधवा उमराव, सुरेश भूशालाल पिता उमराव	17/1/3	0.4410	सिंचित
5.	"--"	विष्णु पिता छतरसिंह	16/2	0.1330	सिंचित
6.	"--"	रामचरण पटेल	2	0.4795	सिंचित
योग- 06 कृषक				1.414	

प्रदीप कुमार सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.